सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 887 **23 Kartik, 1938 (S)**
Ranchi, Tuesday, 14th November, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th November, 2017

S.O. No. 141- Dated - 14th November, 2017-- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) and in supersession of notification S.O 105 - State Tax, dated the 20th October, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person who did not opt for the composition levy under section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the state tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made there under and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

2. This notification shall be deemed to be effective from 15th November, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 07/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

Note: - The principal notification S.O 105-State Tax, dated the 20th October, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand.

वाणिज्यकर विभाग-

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2017

एस. ओ. - 141 - दिनांक- 14 नवम्बर, 2017-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या एस. ओ. 105-राज्य कर, तारीख 20 अक्तूबर, 2017 जो झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, को सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थीं या जिनके किए जाने का लोप किया गया था, परिषद की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन सम्मिश्र उदग्रहण का विकल्प नहीं दिया था, को व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट पूर्ति के समय मालों की जावक पूर्ति पर जिसके अंतर्गत वह स्थितियां भी हैं जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य कर का संदाय करेंगे और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और तद्धीन बनाए गए नियमों में यथावर्णित ब्यौरे और विवरणियां प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है ।

2. यह अधिसूचना 15/11/2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या एस. ओ. 105-राज्य कर, तारीख 20 अक्तूबर, 2017 झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 887-- 50.